महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें
मिशन प्रेरणा

समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ –226 007
वेब–साइट: www.upefa.com ई–मेल: upefaspo@gmail.com दूरभाष: 0522-4024440, 2780384, 2781128

प्रेषक,

राज्य परियोजना निदेशक,
स्कूल शिक्षा, उ0प्र0
लखनऊ।

सेवा में,

श्री मनीष गर्ग,
संयुक्त सचिव,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

पत्रांक: रा0प0नि0 / /2021–22 / लखनऊ **दिनांक: 8 ~~फरवरी~~ मार्च, 2022**

विषय– **एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को नवीन यू–डायस कोड आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राज्य स्तर से विभिन्न वर्षों में मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के सम्बन्ध में नवीन यू–डायस कोड आवंटित किये जाने के अनुरोध अग्रसारित किये गये हैं। एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के अनुरोधों को भारत सरकार के स्तर से यह अंकित करते हुए वापस कर दिया गया है कि **"कृपया अपडेटेड मान्यता प्रमाण–पत्र अपलोड कर प्रेषित करें"।**

उक्त प्रेषित किये गये अनुरोधों में वास्तविक शैक्षिक संस्थाएं ही अग्रसारित की गयी हैं। प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग–6 के शासनादेश संख्या–419 / 79–6–2013–18(20) / 91 दिनांक 08 मई, 2013 (प्रति संलग्न) के बिन्दु– 15 में उल्लिखित निर्देश **"प्रथमदृष्टया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है"** के अनुसार मान्यता के सम्बन्ध में अपडेटेड प्रमाण–पत्र निर्गत करने का प्राविधान नहीं है। आगामी सत्र से मात्र पिछले एक वर्ष में मान्यता प्राप्त अथवा नवीन संचालित शासकीय संस्थाओं के यू–डायस कोड आवंटन हेतु ही अनुरोध पत्र प्रेषित एवं स्वीकृत किए जाएंगे। इस सम्बन्ध में समस्त जनपदों को निर्देश प्रेषित कर दिये गये हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि पूर्व के त्रुटिवश / समुचित प्रचार–प्रसार के अभाव में यू–डायस कोड आवंटन का अनुरोध न करने वाले विद्यालयों को राज्य स्तर से अग्रसारित अनुरोधों के क्रम में वर्तमान सत्र में यू–डायस कोड आवंटित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उक्तवत्

भवदीया,

(अनामिका सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक।

पृष्ठांकन: रा0प0नि0 / 5654 / 2021–22 / लखनऊ / तद्दिनांक
प्रतिलिपि:

1. जिलाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि आपके जनपद में संचालित समस्त पात्र शैक्षिक संस्थाओं के यू–डायस कोड के आवंटन की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
2. श्री सबा अख्तर, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (साइंटिस्ट–एफ)
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

(अनामिका सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक।

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
हाथरस।

सेवा में,

प्रबन्धक,
ग्लोरी मार्डन स्कूल,
सहपऊ, हाथरस।

पत्रांकः 18406 /2016–17 दिनांकः 03/1/2017

विषय– **नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये अंग्रेजी माध्यम की नवीन अस्थायी मान्यता प्रमाण पत्र ।**

महोदय,

आपके तारीख **29.08.2016** के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं– **ग्लोरी मार्डन स्कूल,सहपऊ, हाथरस** को तारीख **01.04.2016** से तारीख **31.03.2019** तक तीन वर्ष की अवधि के लिये **कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक (अंग्रेजी माध्यम)** के लिये अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन है ।

1–मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमे किसी भी रूप मे कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संवधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नही है।

2–विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 (उपाबंध–1) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2010 (उपाबंध–2)के उपवंधो का पालन करेगा ।

3–विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति,नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा ।

4–पैरा–3 में निर्दिष्ट बालको के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उवबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैक खाता रखेगा ।

5–सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा ।

6–विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा । विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा–

(1)–प्रवेश दिए गये किसी भी बालक को विद्यालय मे उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जाएगा ।

(2)– किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जाएगा ।

(3)–प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

(4)–प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा ।

(5)–अधिनियम के उपबंध के अनुसार नि:शक्तता ग्रस्थ/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियो को प्रवेश दिया जाना ।

(6)–अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा–23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है । परन्तु यह है कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताए नहीं है पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतांए अर्जित करेंगे ।

(7)–अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यो का पालन करता है, और

(8)–अध्यापक स्वंय को किसी निजी अध्यापन कियाकलापो मे नियोजित नही करेगा ।

7–विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा ।

8–विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलाई जाएगी ।

9–विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओ या कीडा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनो के लिये किया जाता है.

10–विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम ,1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है ।

11–स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नही चलाया जा रहा है ।

12–विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये. तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये । प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये ।

13–विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबधो शर्तो के सतत् अनुपालन का सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाए ।

14–सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए ।

15–सलंग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त ।

16–विद्यालय में अनियमितता पाये जाने पर विभागीय निर्देशों/आदेशों का पालन न करने पर प्रदत्त मान्यता का किसी भी समय प्रत्याहरण किया जा सकता है।

भवदीय

(रेखा सुमन)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
हाथरस।

पृ०सं०: /2016–17 तददिनांक।

प्रतिलिपिः खण्ड शिक्षा अधिकारी,सहपऊ जनपद हाथरस को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
हाथरस।